

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

समाज कल्याण विभाग

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015

दूरभाष सं०-0612-2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-

333/आ.नि.क

दिनांक 27 जून '19

उपस्थिति हेतु सम्मन,
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं०-16/2019

प्रकरण में:- श्री अतुल कुमार, पिता-श्री रंजीत शुक्ला, बोड़वारा, भटौना, जिला-मुजफ्फरपुर द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाने के क्रम में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान करने सम्बन्धित परिवाद।

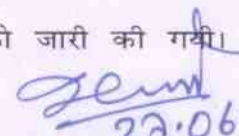
बनाम :- (1) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
(2) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर

चूँकि उपरोक्त परिवाद पत्र आपके विभाग/संस्थान के विरुद्ध समर्पित की गई है, जिसकी सं०-16/2019 है। उक्त परिवाद पत्र (प्रति संलग्न) में यह शिकायत की गई है कि परिवादी अपने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर गये थे, परन्तु वहाँ पर पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी उन्हें इंदिरा गाँधी, पटना में रेफर करते हुए सी०आर०सी०, पटना से जाँच कराने का परामर्श दिया गया जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय-10 की कंडिका-57 पर किये गए प्रावधान के प्रतिकूल है।

उपरोक्तानुसार परिवादी द्वारा समर्पित परिवाद पत्र पर विचारोपरान्त एतद द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-15 के समक्ष दिनांक-18.07.2019 को समय 01:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न प्रश्नगत दावे का उत्तर देने हेतु उपस्थित हों। आपको यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त दिवस पर उन अभिलेखों को प्रस्तुत करें जो कि आप अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहें तथा उसकी एक प्रति वादी/वादियों को भी उपलब्ध करायें।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ दिवस 27 माह जून वर्ष 2019 को जारी की गयी।

अनु०-प्रभारी/

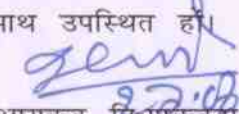

22.06.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

पत्रांक-

333/आ.नि.क

दिनांक 27 जून '19

प्रतिलिपि परिवादकर्ता श्री अतुल कुमार, पिता-श्री रंजीत शुक्ला, बोड़वारा, भटौना, जिला-मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पक्ष रखने हेतु साक्ष्य के साथ उपस्थित हों।


22.06.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

नोट: सम्मन के तामिल हो जाने के पश्चात अगली तिथियों एवं कार्यवाही की जानकारी सम्बन्धित पक्षों को स्वयं प्राप्त करनी होगी।